राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम

(सरकार का प्रतिष्ठान)
प्रधान कार्यालय, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर

क्रमांक : प्र.का. / प्रशा. / एफ.9(विविध)मिसलेनियस / 2015–16 / 5149 दिनांक : 14 .05.2020

परिपत्र

समस्त वरिष्ठ भण्डार प्रबन्धक /
भण्डार प्रबन्धक (प्रभारी),
राज्य भण्डारगृह।

विषय :– भण्डारगृहों पर संग्रहित स्टॉक्स की आग से सुरक्षा के सम्बन्ध में।

निगम के भण्डारगृहों पर जमा स्टॉक की आग से सुरक्षा के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी निर्देशों के क्रम में गर्मी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए निर्देशित किया जाता है कि सभी केन्द्रों पर अग्निशमन यन्त्र सप्लाई किये हुए हैं, जिसका प्रतिवर्ष रिफिलिंग का कार्य भी कराया जाता है। वरिष्ठ भण्डार प्रबन्धक / भण्डार प्रबन्धक (प्रभारी) एवं केन्द्र पर कार्यरत कर्मचारियों को अग्निशमन यन्त्रों के संचालन का पूरा ज्ञान होना चाहिए। यदि स्टॉफ के कर्मचारियों द्वारा अग्निशमन यन्त्र को चलाना नहीं आता हो तो उन्हें फायर फाईटिंग हेतु अग्निशमन यन्त्र चलाकर प्रशिक्षित करें, ताकि किसी प्रकार की आग की घटना पर बिना समय गवायें काबू पाया जा सके। रिफिल किये हुये अग्निशमन यन्त्र गोदाम पर बाहर निश्चित स्थानों पर टाँगे जाने चाहिये एवं अग्निशमन यंत्रों की रिफिलिंग का कार्य अवधि पार तिथि से पूर्व करवाया जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी केन्द्र पर यह नहीं लगवाये गये हैं तो एस (S) टाईप हुक बनाकर गोदामों के नीचे के वेन्टीलेटर के सरियों में लगाये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में अग्निशमन यन्त्र गोदामों के अन्दर अथवा स्टोर में नहीं रखे जाने चाहिये। यदि पर्याप्त मात्रा में तथा नये बने गोदामों के लिये अग्निशमन यन्त्र पर्याप्त उपलब्ध नहीं हो तो अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रस्ताव प्रधान कार्यालय भिजवायें। इसके अतिरिक्त फायर बकेट्स में मिट्टी भरकर प्रत्येक गोदाम पर स्टेण्ड पर लगाकर पर्याप्त मात्रा में हर समय रखा जाना तथा केन्द्र पर पानी की व्यवस्था हेतु टंकी / निर्मित भूमिगत टैंक में पानी भरा हुआ रखा जाना भी सुनिश्चित करें। यदि केंन्द्र पर पर्याप्त मात्रा में फायर बकेट्स उपलब्ध नहीं हो तो केन्द्र की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त मांग के प्रस्ताव सहायक निदेशक (क्यू.सी.) को भिजवायें।

वरिष्ठ भण्डार प्रबन्धक / भण्डार प्रबन्धक (प्रभारी) के कक्ष / कार्यालय के बरामदे में निम्नांकित कार्यालयों / अधिकारियों के टेलीफोन नम्बरों की सूची स्पष्ट रूप से मोटे अक्षरों में अंकित की हुई उपलब्ध होनी चाहिये।

1. स्थानीय / निकटतम / जिला / अग्निशमन कार्यालय।
2. स्थानीय पुलिस थाना।
3. उप / अतिरिक्त / जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय।
4. जिला कलेक्टर कार्यालय।
5. उपखण्ड अधिकारी / सहायक जिला कलेक्टर / तहसीलदार कार्यालय।
6. नगर निगम / नगरपालिका / ग्राम पंचायत / पंचायत समिति कार्यालय।
7. निगम प्रधान कार्यालय के समस्त अधिकारियों के टेलीफोन नम्बर्स।

--2

पृ.

उपरोक्त के साथ–साथ स्थानीय पुलिस व निकटस्थ अग्निशमन कार्यालय का फोन नम्बर गोदाम या भण्डारगृह की दीवार पर भी बड़े व सुन्दर अक्षरों में इस प्रकार लिखे हुये होने चाहिये कि आसानी से नजर पड़े व दूर से ही पढ़ा जा सके। यदि लिखे हुये नहीं है तो स्थानीय स्तर पर लिखवायें और उक्त कार्य में होने वाले खर्चे केन्द्र पर उपलब्ध इम्प्रेस्ट राशि में से किया जाकर उसके समायोजन हेतु बिल प्रधान कार्यालय के लेखा अनुभाग (भुगतान) को प्रस्तुत करते हुए इसकी सूचना निगम के क्यू.सी. अनुभाग को भी प्रेषित करें।

इसके अतिरिक्त समस्त वरिष्ठ भण्डार प्रबन्धक/भण्डार प्रबन्धक (प्रभारी) को निर्देश दिये जाते हैं कि वे ऐसे गोदामों को जिनमें इलैक्ट्रिक फिटिंग की हुई है, में बाजार से इलैक्ट्रिशियन को बुलाकर उससे समस्त वायरिंग को चैक करवाले एवं यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है/सम्भावना नहीं है। साथ ही स्टॉफ/मजदूरों द्वारा गोदामों में किसी भी स्थिति में धूम्रपान नहीं किये जाने बाबत स्थिति भी नियमित रूप से सुनिश्चित करें। किसी भी अप्रिय घटना/आगजनी की स्थिति में आमजन का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से परिसर में लगी लोहे की घण्टी को लगातार बजाया जावें, ताकि आग से बचाव/ सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

उपरोक्त निर्देशों की कठोरता से पालना की जावे एवं केन्द्र पर आग से बचाव के लिये सभी समुचित उपाय किये जावें।

(पवन कुमार गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि :—

1. निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
2. समस्त अधिकारीगण, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
3. अधिशाषी अभियन्ता, प्रधान कार्यालय, जयपुर को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि निगम के गोदामों/कार्यालय में किसी प्रकार की शार्ट सर्किट के सम्बन्ध में बिजली फिटिंग की जाँच शीघ्र कराई जाकर सहायक निदेशक (क्यू.सी.) को प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें कि निगम के किसी गोदाम व कार्यालय में शार्ट सर्किट की सम्भावना नहीं है।
4. सहायक निदेशक (क्यू.सी.), प्रधान कार्यालय, जयपुर को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि भण्डारगृह पर पर्याप्त मात्रा में नियमानुसार फायर फाईटिंग इक्यूपमेंट (अग्निशमन यंत्र एवं फायर बकेट्स) उपलब्ध हैं, यदि पर्याप्त मात्रा में फायर एक्सटिंग्यूशर्स एवं बकेट्स उपलब्ध नहीं हो तो उनकी उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रस्ताव संकलित/समेकित करते हुये स्टोर्स अनुभाग, प्रधान कार्यालय, जयपुर को प्रस्तुत करें।
5. प्रबन्ध निदेशक, मैसर्स श्री शुभम लॉजिस्टिक लि., मुम्बई/जोधपुर/जयपुर।

(राज वर्धन)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)